राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

1.4.5.1 परिचय

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक का व्यवहार्यता अध्ययन करने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत जुलाई, 1982 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में (एनडब्ल्यूडीए) की गई थी। एनडब्ल्यूडीए, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। तदनंतर वर्ष 1990–91 में एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी ने हिमालयी घटक के अध्ययन करने का भी संकल्प लिया है। इस अभिकरण के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं:––

(क) देश में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए वैज्ञानिक विकास को उन्नत करना।

(ख) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल संसाधनों के विकास के लिए तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के भाग, प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित भंडारण जलाशय स्थलों और अंतर समपर्कीय संपर्कों का विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

(ग) निकट भविष्य में बेसिन राज्यों की उचित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात जिन विभिन्न प्रायद्वीपीय एवं हिमालयी नदी प्रणालियों के जल को अन्य बेसिनों/राज्यों को हस्तांतरित किया जा सकता है, उनमें जल की मात्रा का विस्तृत अध्ययन करना।

(घ) प्रायद्वीपीय एवं हिमालयी नदी विकास के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

(ड.) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य कार्य करना जिन्हें समिति आवश्यक, आनुषंगिक, पूरक अथवा प्रेरक समझे।

संगठनात्मक ढांचा

अभिकरण का प्रमुख महानिदेशक होता है जो भारत सरकार के अपर सचिव के स्तर का होता है। वह सोसाइटी के कार्यों तथा निधियों के उचित संचालन के लिए उत्तरदायी एक प्रधान कार्यकारी है और वह सोसाइटी के क्रियाकलापों के समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण का कार्य करता है। इस अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

मुख्यालय में एनडब्ल्यूडीए के महानिदेशक की सहायता के लिए मुख्य इंजीनियर (मुख्यालय), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), निदेशक (एमडीयू) तथा तीन अधीक्षी इंजीनियर हैं। इस एजेंसी के दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष एक–एक मुख्य इंजीनियर है। एजेंसी के पांच परिमण्डल हैं जिनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष एक–एक अधीक्षक इंजीनियर है, 15 प्रभाग हैं जिनमें से प्रत्येक का अध्यक्ष एक–एक अधिशासी इंजीनियर है तथा आठ उप–प्रभाग हैं, प्रत्येक उप–प्रभाग का अध्यक्ष एक–एक सहायक अधिशासी इंजीनियर/सहायक इंजीनियर है। 23.10.2003 (अपराह्न) से एनडब्ल्यूडीए के महानिदेशक के रूप में श्री आर. के. शर्मा सेवारत हैं।

1.4.5.3 क्रियाकलाप

1.4.5.3.1 अंतरबेसिन जल हस्तांतरण प्रस्ताव

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का अध्ययन करता है। इस प्रस्ताव में दो घटक अर्थात् (क) प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक और (क) हिमालयी नदी विकास घटक शामिल हैं।

1.4.5.3.2 प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक को निम्नलिखित चार प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है:

1. महानदी–गोदावरी–कृष्णा–पेन्नार–कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना।
2. मुम्बई के उत्तर तथा तापी के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को जोड़ना।
3. केन नदी को चम्बल के साथ जोड़ना।

4. केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पश्चिमी घाटों के पूर्व की ओर जल की कमी वाले क्षेत्रों की ओर मोड़ना।

शुरू किए गए अध्ययन

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने, प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत सभी 137 बेसिनों/उपबेसिनों के आंकड़ों का संग्रह और 52 अभिज्ञात डाइवर्जन बिन्दुओं (3 अतिरिक्त अध्ययन सहित), 58 जलाशय अध्ययन, 1 अतिरिक्त अध्ययन सहित 18 संपर्कों के स्थलाकृतिक अध्ययन और सभी 18 व्यवहार्यतापूर्व रिपोर्टें पूरी कर ली हैं।

एनडब्ल्यूडीए ने प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत सर्वेक्षण और अन्वेषण करने तथा व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए निम्नलिखित 16 जल हस्तांतरण संपर्कों की पहचान की है। इन संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टों की मौजूदा स्थिति इस प्रकार हैः

क्रम संख्या	**संपर्क परियोजना का नाम**	**व्यवहार्यता रिपोर्ट की मौजूदा स्थिति**
1	**2**	**3**
1.	महानदी (मणिभद्रा)--गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क	पूर्ण
2.	गोदावरी (पोलावरम)--कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क	पूर्ण
3.	गोदावरी (इंचमपल्ली निचला बांध) कृष्णा (नागार्जुनसागर टेल पोंड) संपर्क	प्रगति पर
4.	गोदावरी (इंचमपली)––कृष्णा (नागार्जुनसागर) संपर्क	प्रगति पर
5.	कृष्णा (नागार्जुनसागर)––पेन्नार (सोमसिला) संपर्क	पूर्ण
6.	कृष्णा (श्रीसेलम)––पेन्नार संपर्क	पूर्ण
7.	कृष्णा (अलमट्टी)––पेन्नार संपर्क	पूर्ण

8.	पेन्नार (सोमसिला)——पालार—कावेरी (ग्रांड अनिकट) संपर्क	प्रगति पर
9.	कावेरी (कट्टाले)——वेगाई—गुंडार संपर्क	पूर्ण
10.	पंबा——अचनकोविल——वैप्पार संपर्क	पूर्ण
11.	बेदती—वरदा संपर्क	*
12.	नेत्रवती—हेमावती संपर्क	*
13.	पार—तापी—नर्मदा संपर्क	पूर्ण
14.	दमनगंगा—पिंजाल संपर्क	पूर्ण
15.	पारबती—कालीसिंध—चंबल संपर्क	पूर्ण
16.	केन—बेतवा संपर्क	पूर्ण

टिप्पणी——*कर्नाटक सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए क्षेत्र सर्वेक्षण और अन्वेषण शुरू किया जाएगा।

1.4.5.3.3 हिमालयी नदी विकास घटक

एनडब्ल्यूडीए द्वारा वर्ष 1991—92 में केन्द्रीय हिमालयी नदी विकास घटक के सर्वेक्षण में अध्ययन शुरू किए गए थे। हिमालयी नदी विकास घटक में भारत व नेपाल में गंगा व ब्रह्मपुत्र एवं इनकी प्रधान सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों के निर्माण तथा प्रमुख ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों को गंगा और गंगा को महानदी से जोड़ने के अतिरिक्त गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष जल के प्रवाहों को पश्चिम की ओर हस्तांतरित करने के लिए नहर प्रणालियों को परस्पर जोड़ने की योजना बनाई गई है।

प्रारम्भ किए गए अध्ययनः

हिमालयी नदी विकास घटक के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सभी 19 डाइवर्जन बिन्दुओं के जल संतुलन अध्ययन, 16 भण्डारण जलाशयों और 19 जल हस्तांतरण संपर्कों के स्थलाकृतिक अध्ययन और 14 संपर्कों की व्यवहार्यतापूर्ण रिपोर्टें पूरी कर ली हैं।

एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के वास्ते हिमालयी घटक के तहत निम्नलिखित 14 जल हस्तांतरण संपर्कों की पहचान की है। इन संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार हैः

क्रम संख्या	**संपर्क परियोजना का नाम**	**व्यवहार्यता रिपोर्ट की मौजूदा स्थिति**
1	**2**	**3**
1.	मानस–संकोष–तीस्ता–गंगा	प्रगति पर
2.	कोसी–मेची–संपर्क	प्रगति पर
3.	कोसी–घाघरा संपर्क	प्रगति पर
4.	गंडक–गंगा संपर्क	प्रगति पर
5.	घाघरा–यमुना संपर्क	पूर्ण
6.	सारदा–यमुना संपर्क	पूर्ण
7.	यमुना–राजस्थान संपर्क	प्रगति पर
8.	राजस्थान–साबरमती संपर्क	प्रगति पर
9.	चुनार–सोन बैराज संपर्क	प्रगति पर
10.	सोन बांध–गंगा की दक्षिणी वितरिकाएं (एसटीजी) संपर्क	प्रगति पर
11.	गंगा–दामोदर–सुबर्णरेखा संपर्क	प्रगति पर
12.	फरक्का–सुन्दरवन संपर्क	प्रगति पर
13.	सुबर्णरेखा–महानदी संपर्क	प्रगति पर
14.	जोगीगोपा–तीस्ता–गंगा संपर्क (आल्ट से एम–एस–टी–जी)	प्रगति पर

1.4.5.3.4 अंतर्बेसिन हस्तांतरण संपर्क स्कीमों से लाभ

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना से बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्यपालन, लवणता और प्रदूषण नियंत्रण आदि के अलावा सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई, भूजल के बढ़े उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता को 113 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 148 मिलियन हेक्टेयर तक करने तथा 34 किलोवाट विद्युत के सृजन सम्बन्धी अतिरिक्त लाभ होंगे।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अध्ययनों के अनुसार (i) अंतर्बेसिन जल हस्तांतरण प्रस्ताव के हिमालयी घटक से उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और उड़ीसा को लाभ होगा तथा ब्रह्मपुत्र के अधिशेष जल से प्रायद्वीपीय घटक भी समृद्ध होंगे। (ii) प्रायद्वीपीय घटक से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात को लाभ होगा।

1.4.5.3.5 अंतर्बेसिन जल हस्तांतरण के प्रस्तावों पर राज्यों के बीच सर्वसम्मति लाने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए दल की बैठक

अधिशेष जल के बंटवारे के संबंध में राज्यों के बीच सर्वसम्मति लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय जल आायेग की अध्यक्षता में सदस्य सचिव, महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए सदस्य के रूप में सदस्य (डब्ल्यूपीएण्डपी), सीडब्ल्यूसी, मुख्य अभियन्ता (आईएमओ), सीडब्ल्यूसी और सम्बन्धित राज्यों के जल संसाधन/सिंचाई विभागों के सचिवों के साथ जल संसाधन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/3/2001–बीएम/265 दिनांक 21.6.2002 के द्वारा एक दल का गठन किया गया है। लाभग्राही राज्यों द्वारा लागत एवं लाभ की हिस्सेदारी तथा संपर्क स्कीमों के कार्यान्वयन को प्रारंभ करने के लिए अन्य मुद्दों, विभिन्न संपर्क स्कीमों, जिनके लिए एनडब्ल्यूडीए द्वारा पहले ही व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं, की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा करने के सम्बन्ध में सहमति लाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से एनडब्ल्यूडीए के अंतर्बेसिन जल हस्तांतरण के प्रस्तावों के अनुसार नदी बेसिनों/उप–बेसिनों में अधिशेष जल की हिस्सेदारी तथा काफी मात्रा में अधिशेष जल को जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में हस्तांतरण किए जाने के सम्बन्ध में राज्यों के बीच सहमति लाने के सम्बन्ध में चर्चा करना तथा इसकी प्रक्रिया में तेजी लाना इस दल के मुख्य कार्य हैं।

उपरोक्त पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में अब तक इस दल की 4 बैठकें (3 बैठकें केन–बेतवा संपर्क तथा 1 बैठक पारबती–कालीसिंध–चंबल संपर्क) आयोजित की गई हैं। प्राथमिकता संपर्क अर्थात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए केन–बेतवा संपर्क परियोजना और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान को शामिल करते हुए पारबती–कालीसिंध–चंबल संपर्क परियोजना के सम्बन्ध में राज्यों की आपत्तियों को दूर करने के लिए सहमति दल द्वारा किए गए प्रयासों के विषय में एक रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है। दक्षिणी क्षेत्र में

प्राथमिकता संपर्कों को अभिज्ञात करते हुए एक टिप्पणी भी जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

1.4.5.4 नदियों को परस्पर जोड़ने सम्बन्धी कार्यबल

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के अनुमोदन से गठित नदियों को परस्पर जोड़ने सम्बन्धी कार्य बल ने सरकार को विचारार्थ विषयों पर कार्य योजना-I अप्रैल 2003 में और कार्य योजना-II अप्रैल, 2004 में प्रस्तुत की थी। अब तक, कार्यबल की सोलह बैठकें (वर्ष 2004–05 में पांच) हुई हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा कार्यबल को सचिवालयी सेवाएं दी गई हैं। नदियों को परस्पर जोड़ने सम्बन्धी कार्यबल का व्यय भी एनडब्ल्यूडीए द्वारा वहन किया जाता है।

नदियों को परस्पर जोड़ने सम्बन्धी कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में 31.3.2004 से श्री सुरेश प्रभु का त्यागपत्र स्वीकार हो जाने पर जल संसाधन मंत्रालय ने निर्णय लिया कि डा. सी.सी. पटेल, उपाध्यक्ष, अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक नदियों को परस्पर जोड़ने सम्बन्धी कार्यबल, अध्यक्ष के पद का कार्यभार, देखेंगे।

कार्यबल ने सरकार को रिपोर्टें (कार्य योजना I तथा II) प्रस्तुत करने के बाद अपना प्रदत्त कार्य पूरा कर लिया है। इसलिए नदियों को परस्पर जोड़ने सम्बन्धी कार्यबल 31 दिसम्बर, 2004 से समाप्त कर दिया गया है। अतः नदियों को परस्पर जोड़ने सम्बन्धी कार्यबल (टीएफ–आईएलआर) 31 दिसम्बर, 2004 से समाप्त कर दिया गया है। टीएफ–आईएलआर के अवशिष्ट ने भी कार्य की देखभाल करने तथा जल संसाधन मंत्रालय के अधीन नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है।

1.4.5.3.4 सरकार का राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में यह परिकल्पना है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार देश की नदियों को परस्पर जोड़ने की व्यवहार्यता का विस्तृत आकलन दक्षिणी नदियों से शुरू करेगी। यह आकलन पूर्णतः परामर्शी ढंग से किया जाएगा। इसमें बिहार जैसे राज्यों में नदियों के उप बेसिनों को परस्पर जोड़ने की व्यवहार्यता का भी पता लगाया जाएगा।

विभिन्न दावाधारकों, जल संसाधन मंत्रालय और अन्य केन्द्रीय विभागों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श और परस्पर बातचीत के माध्यम से सचिव (जल संसाधन) के स्तर पर नदियों को परस्पर जोड़ने सम्बन्धी कार्यक्रम का आकलन किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जल संसाधन के मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों का सम्मेलन 2 और 3 अगस्त, 2004 को हुआ था जिसमें इस मामले पर एक पूर्णतः समर्पित सत्र में विचार विमर्श किया गया था।

अधिकांश राज्यों ने नदियों को परस्पर जोड़ने की संकल्पना का समर्थन किया बशर्ते कि इस परियोजना द्वारा किसी तरह सभी राज्यों के लिए 'लाभ की स्थिति' सुनिश्चित की जा सके। अधिकांश राज्यों का व्यापक रूप से यह मानना है कि भारत सरकार द्वारा वित्तपोषण मुहैया कराया जाए। यदि नदियों को परस्पर जोड़ा जाना सफलतापूर्वक कार्यान्वित होता है तो इससे बाढ की स्थिति में कमी आएगी और सूखा प्रवण क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी।

1.4.5.3.5 जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति

माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण 11 अक्तूबर, 2004 को किया गया था जिसमें अन्य लोगों के साथ केन्द्रीय वित्तमंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, सदस्य योजना आयोग और प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव उपस्थित थे। उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के बाद, देश में नदियों को परस्पर जोड़ने की व्यवहार्यता के विस्तृत आकलन के भाग के रूप में सरकार ने नीचे लिखे निर्णय लिएः

1. प्रायद्वीपीय घटक पर बल देते हुए नदियों को परस्पर जोड़ने पर कार्रवाई करना।
2. एनडब्ल्यूडीए को व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने का काम जारी रखना चाहिए एवं निर्धारित समय–सीमा का अनुपालन करना चाहिए।
3. प्राथमिकता संपर्कों अर्थात केन–बेतवा एवं पारबती–कालीसिन्ध–चम्बल पर सर्वसम्मति लाने के लिए एक समय सीमा।
4. सम्बन्धित राज्यों द्वारा जब प्रस्ताव किए जाएं तो अंतर्राज्यीय संपर्कों की व्यवहार्यता की जांच करना।

5. जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणविदों, समाजशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों का एक दल गठित किया जाएगा जिसे इस परियोजना के लिए परामर्शी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
6. एनडब्ल्यूडीए को दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय घटक में अन्य प्राथमकिता संपर्क की पहचान करनी है और सर्वसम्मति लाने के बाद कार्रवाई शुरू करनी है।

नदियों को परस्पर जोड़ने की (आईएलआर) की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया को परामर्शात्मक बनाने के उद्देश्य से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 28 दिसम्बर, 2004 को पर्यावरणविदों, समाज वैज्ञानिकों तथा अन्य विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है।

1.4.5.3.6 वित्त और लेखा

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2004–05 के लिए एनडब्ल्यूडीए को योजनागत के अधीन 35.00 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराया है। तथापि संशोधित अनुमान (आरई) 21.00 करोड़ रुपए का है। 30 नवम्बर, 2004 तक वास्तविक व्यय 12.32 करोड़ रुपए का हुआ।

1.4.5.3.7 स्टाफ क्षमता

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों को सेवा में आरक्षण के अलावा अन्य लाभों के सम्बन्ध में भारत सरकार समय–समय पर जो अनुदेश जारी करती रही है, एनडब्ल्यूडीए उन सभी का पालन करता रहा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/शारीरिक दृष्टि से विकलांगों की स्थिति दर्शाते हुए 1 दिसम्बर, 2004 को एनडब्ल्यूडीए की स्टाफ क्षमता (श्रेणी–वार) नीचे दिए अनुसार हैः

1.12.2004 की स्थिति के अनुसार एनडब्ल्यूडीए की स्टाफ क्षमता (श्रेणी–वार)

श्रेणी	**स्वीकृत***	भरे हुए पद	**खाली पद**

		अजा	अजजा	अपिव	शावि	सामान्य	योग	
श्रेणी–क	71	4	–	–	–	59	63	8
श्रेणी–ख (राजपत्रित)	70	7	1	–	–	61	69	1
श्रेणी–ख (अराजपत्रित)	9	2	–	–	–	7	9	–
श्रेणी–ग	400	63	21	28	06	264	38	18
श्रेणी–घ	131	31	09	–	04	82	126	5
योग	**681**	**107**	**31**	**28**	**10**	**473**	**649**	**32**

टिप्पणी: *जिन पदों को समाप्त हुआ समझ लिया गया है, वे पद शामिल नहीं है।

1.4.5.3.8 विकलांग व्यक्तियों सम्बन्धी अधिनियम का कार्यान्वयन

एनडब्ल्यूडीए में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और सहभागिता) अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के विवरण निम्नानुसार हैं:

1ण भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश कार्यान्वित किए जाते हैं।

2ण श्रेणी 'क' और ''ख' के कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं।

3ण सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले कनिष्ठ इंजीनियर, डिजाइन सहायक, आशुलिपिक श्रेणी III, नक्शानवीस श्रेणी III, हिन्दु अनुवादक, अश्रेलि तथा समूह घ के पदों की श्रेणियों में आरक्षण है।

4ण

1.4.5.3.9 सतर्कता और अनुशासनिक मामले

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी सभी अनुदेशों का पालन कर रहा है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अधीक्षक इंजीनियर श्री एस.बी. भट्टाचार्या को 8 अगस्त, 2002 से अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया। 28.10. 2004 को उनके प्रत्यावर्तन के बाद 29.10.2004 से डा. ए.के. शारदा, निदेशक (एमडीयू) को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर दिया गया और वे एनडब्ल्यूडीए में सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सतर्कता और अनुशासनिक मामलों के विभिन्न पहलुओं की ओर ध्यान दे रहे थे। वर्ष 2003–04 में अधिकारियों/स्टाफ के सम्बन्ध में आठ सतर्कता/अनुशासनिक मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से चार मामलों का निपटान कर दिया गया। बाकी चार मामले वर्ष 2004–05 के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन विचाराधीन थे। विभिन्न पाक्षिक, मासिक, तिमाही, वार्षिक विवरणियां और सतर्कता निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन नियमित रूप से जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है।

1.4.5.3.10 स्टाफ की शिकायतों का निवारण

स्टाफ की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए श्री एन.के. भण्डारी, मुख्य इंजीनियर (मुख्यालय) को 26 सितम्बर, 2003 को एडब्ल्यूडीए का शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया। वर्ष 2004–05 के दौरान स्टाफ से तीन शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से दो शिकायतों का निपटारा वर्ष के दौरान कर दिया गया। एनडब्ल्यूडीए में केवल एक शिकायत ऐसी है जिस पर इस समय कार्रवाई की जा रही है।